न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 64/2021 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
हारून पुत्र वली जाति मुसलमान, निवासी भीभड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. अमानी उर्फ ओमनी पत्नी लूणाखान 3. कचरा पुत्र लूणाखान 4. जीम उर्फ जीमयत पत्नी बसायाखान 5. नजीरा पत्नी करीम खान 6. बचायाखान पुत्र वली 7. मरियत पत्नी गागनखान 8. मानाखान पुत्र शेरखान 9. समानी पत्नी नबुखान 10. हबीबखान पुत्र वली जाति मुसलमान, निवासी भीभड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 11. जोगाराम पुत्र द्वारकाराम जाति प्रजापति, निवासी भीभड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता वादी — श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 06.05.2026

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा भीभड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 517, 615/284, 616/284 रकबा क्रमशः 20.9303, 8.6684, 18.6317 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी को उनके पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराज़ी का विरासती नामांतरकरण वादी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु व आम बोलचाल का नाम हसणखान पुत्र वली का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम हारून पुत्र वली खान है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड व जॉब कार्ड आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम हारून पुत्र वली दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम हसणखान पुत्र वली के स्थान पर सही नाम हारून पुत्र वली घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 से 11 के बावजूद तामिली [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य स्वरूप [illegible] शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा उपस्थित होकर वादी के नाम दुरस्ती के [illegible] में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र [illegible] किया गया। दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:01:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

~ ~

...स्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम हसणखान पुत्र वली के स्थान पर सही नाम हारून पुत्र वली होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम हसणखान पुत्र वली दर्ज है, जबकि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम हारून पुत्र वली दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा वादी के नाम दुरस्ती के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम हसणखान पुत्र वली के स्थान पर सही नाम हारून पुत्र वली दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भीभड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 517, 615/284, 616/284 रकबा क्रमशः 20.9303, 8.6684, 18.6317 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम हसणखान पुत्र वली के स्थान पर सही नाम हारून पुत्र वली होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:01:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner